संख्या-2873 / III(2) / 16-16(बजट) / 2005

प्रेषक,

अरविन्द सिंह ह्यांकी,
प्रभारी सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा मे,

प्रमुख अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग-2 देहरादूनः दिनांक 24 अक्टूबर, 2016

विषयः- टी0एस0पी0 के अन्तर्गत तल्ला भैंसकोट से बजेता मोटर मार्ग के किमी0 5.50 से 8.00 तक मोटर मार्ग का निर्माण एवं किमी0 1.00 से 5.50 तक डिफेक्ट कटिंग एवं रिटेनिंगवाल एवं ब्रेस्टवाल स्कपर निर्माण कार्य (अवशेष कार्य) की पुनरीक्षित स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2004-05 में टी0एस0पी0 के अन्तर्गत तल्ला भैंसकोट से बजेता मोटर मार्ग के निर्माण कार्य की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति शासनादेश सं0:-457 / III(2) / 05-16(बजट) / 2005 दिनांक 31.03.2005 (क्रमांक-19) के द्वारा लम्बाई 8.00 किमी0 एवं लागत ₹ 115.00 लाख की प्रदान की गई है ।

2- इस सम्बन्ध में मुख्य अभियन्ता, पिथौरागढ द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्तानुसार प्रदत्त स्वीकृति के सापेक्ष वनभूमि हस्तान्तरण की स्वीकृति विलम्ब से प्राप्त होने, नापभूमि की लागत बढने तथा श्रमिक / सामग्री की दरों में अत्यधिक वृद्धि होने के कारण स्वीकृत लागत ₹ 115.00 लाख में केवल 5.50 किमी0 मोटर मार्ग का ही निर्माण सम्भव हुआ है। अतः अवशेष लम्बाई में कार्य पूर्ण कराये जाने हेतु मुख्य अभियन्ता, लो0नि0वि0, पिथौरागढ द्वारा विभागीय तकनीकी परीक्षणोपरान्त वर्तमान में शासन को उपलब्ध कराये गये पुनरीक्षित विस्तृत आगणन, जिसकी औचित्यपूर्ण पाई गई सम्पूर्ण लागत **₹ 426.93 लाख** (₹ 115.00 लाख पूर्व स्वीकृत लागत + ₹ 311.93 लाख अतिरिक्त लागत) है, की प्रशासकीय एवं वित्तीय तथा व्यय की पुनरीक्षित स्वीकृति श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैं:-

(i)- उक्त पुनरीक्षित स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान की जा रही है कि शासनादेश सं0:-457 / III(2) / 05-16(बजट) / 2005 दिनांक 31.03.2005 द्वारा स्वीकृत लागत ₹ 115.00 लाख को, प्रस्तुत पुनरीक्षित आगणन पर विभागीय टी0ए0सी0 द्वारा परीक्षणोंपरान्त औचित्यपूर्ण पाई गई धनराशि **₹ 426.93 लाख** से घटाते हुए, अतिरिक्त लागत ₹ 311.93 लाख में अवशेष कार्यो को पूर्ण करा लिया जायेगा। पूर्व स्वीकृत लागत के सापेक्ष यदि कोई धनराशि, आवंटन के पूर्व व्यय कर दी गई हो अथवा अवशेष हो तो उस धनराशि को स्वीकृत लागत से समायोजित करके अवशेष धनराशि ही चालू कार्यो पर अवमुक्त की जायेगी। इसके अतिरिक्त अब उक्त कार्य हेतु अतिरिक्त धनराशि किसी भी दशा में स्वीकृत नही की जायेगी। शासनादेश दिनांक 31.03.2005 केवल उक्त अनुमन्य सीमा तक ही संशोधित समझा जाय।

(ii)- पुनरीक्षित विस्तृत आगणन मे उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत / अनुमोदित दरों को जो दरें शैडयूल आफ रेट में स्वीकृत नही हैं, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति हेतु नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।

(ii)- कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आगणन / मानचित्र पर सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक होगी।

(iv)- कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं विभाग द्वारा प्रचलित दरों / विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।

(v)– ठेकेदार द्वारा समय से कार्य पूरा न करने की दशा में debitable आधार पर अन्य एजेन्सी का अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 के अन्तर्गत नियमानुसार चयन कर निर्माण कार्य पूरा किया जायेगा। स्वीकृत निर्माण कार्य को किसी भी दशा में, शासन की पूर्वानुमति के बिना, अपूर्ण अवस्था में समाप्त नहीं किया जायेगा।

(vi)– निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टैस्टिंग करा ली जाय, तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को प्रयोग मे लाया जाय।

(vii)– स्वीकृत विस्तृत आगणन के प्राविधानों एवं तकनीकी स्वीकृति के आगणन के प्राविधानों में परिवर्तन (केवल अपरिहार्य स्थिति की दशा में ही) करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की सहमति अनिवार्य रूप से प्राप्त कर ली जायेगी।

(viii)– पुनरीक्षित विस्तृत आगणन मे प्राविधानित डिजाईन/मात्राओं एवं कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता का सम्पूर्ण दायित्व संबंधित अधिशासी अभियन्ता का होगा।

3– उक्त योजना पर होने वाला व्यय लोक निर्माण विभाग के अनुदान सं0–31–लेखाषीर्शक–5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय–04 जिला तथा अन्य सड़कें –796 जनजातिय क्षेत्र उपयोजना–02 चालू निर्माण कार्य–24 वृहत निर्माण कार्य की मद से निवर्तन पर रखी गई धनराशि से, आवश्यकतानुसार, अपने स्तर से किया जायेगा।

4– यह आदेश वित्त विभाग द्वारा विभिन्न पत्रावलियों में दिये गये परामर्शानुसार निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय,

(अरविन्द सिंह ह्यांकी)
प्रभारी सचिव

संख्याः– (1)/ I I I(2)/16–16(बजट)/2005 तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम), ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा देहरादून।
2. आयुक्त कुमायूँ मण्डल, नैनीताल।
3. जिलाधिकारी, पिथौरागढ।
4. क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता लोक निर्माण विभाग, पिथौरागढ।
5. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, पिथौरागढ।
6. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. अधीक्षण अभियन्ता, तृतीय वृत्त, लो0नि0वि0, पिथौरागढ।
8. अधिशासी अभियन्ता, प्रा0ख0, लो0नि0वि0, डीडीहाट।
9. गार्ड बुक।

आज्ञा से

(ए0एस0पांगती)
उप सचिव

(6)

Phone/ Fax:- 0135-2531154/2530431

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग
"नियोजन–।" उत्तराखण्ड देहरादून
Office of the Engineer in Chief, PWD, Dehradun Uttarakhand
Web-http://govt.ua.nic.in/pwd E-mail: eicpwduk@nic.in

पत्रांक– 929 /20 याता0'क'/2016 दिनांक–09 .10.2016

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, पिथौरागढ़।
2. अधीक्षण अभियन्ता, तृतीय वृत्त, लोक निर्माण विभाग, पिथौरागढ़।
3. अधिशासी अभिन्यता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, डीडीहाट।
4. अधिशासी अभिन्यता, आई0टी0सैल विभागाध्यक्ष, कार्यालय लोक निर्माण विभाग, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि उक्त शासनादेश की प्रति विभागीय "वैबसाईट" पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
5. कनिष्ठ अभियन्ता प्राविधिक/बजट वर्ग, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।

28/10/16

IT head (op.)
Upload!
21/12/16